राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2973/2025

विनिता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.06.2025
आदेश की दिनांक : 30.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की जाती है।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर, जटीया कुंड सिरोही में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग जारी आदेश दिनांक 09.05.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरलूट, सिरोही से नर्सिंग ऑफिसर, जटीया कुंड सिरोही में किया गया। अपीलार्थी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरलूट सिरोही में कार्यरत थी। अपीलार्थी द्वारा दो वर्षीय पोस्ट बेसीक बीएससी नर्सिंग कोर्स हेतु अध्यनन अवकाश लिया गया। अपीलार्थी का अध्ययन अवकाश दिनांक 06.02.2025 तक था। अपीलार्थी का पाठ्यक्रम तो पूरा हो गया परन्तु उसकी परीक्षा नहीं हुई है। अपीलार्थी का अध्यनन अवकाश पूरा होने के कारण अपीलार्थी ने अपनी ड्यूटी प्रत्यर्थी संख्या 2 के यहां दिनाक 07.02.2025 को ज्वाइन कर ली (अनुलग्नक–2) है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 09.05.2025 के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 3 के अधिन नियुक्ति दे दी गई। अपीलार्थी पोस्ट बेसीक बीएससी नर्सिंग की परीक्षा दिनांक 13.06.2025 तक है। अपीलार्थी के परीक्षा टाईम टेबल की एक प्रति अनुलग्नक–3 के रूप में संलग्न है। प्रायोगिक परीक्षा की

दिनांक अभी तय नहीं हुई है। अपीलार्थी के पति केन्द्र सरकार के ईएसआई कारपोरशेन देहली में कार्यरत है (अनुलग्नक –4)। अपीलार्थी का एक लडका है, जिसकी आयु 2 वर्ष से कम है जो कि न्यूरो लोजिकल डिसओडर से पीडित है और अपीलार्थी की बच्चे का इलाज अहमदाबाद चल रहा है और इस कारण से अपीलार्थी को बार–बार अहमदाबाद जाना पडता है (अनुलग्नक–5)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.05.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को निरन्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरलूट सिरोही में कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष